संख्या–496/2018/1134/69–1–2017–14(235)/2015

प्रेषक,

मनोज कुमार सिहं,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा)
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ दिनांकः- 14 सितम्बर, 2018

विषय: प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन का क्रियान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-02/2018/1851(1)/69-1-2017-14(235)/2015 दिनांक-11 जनवरी, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना- सबके लिये आवास मिशन के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र के सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को मिलने वाली कुल सहायता धनराशि रु. 2.5 लाख को विभिन्न 03 किश्तों में दिये जाने के दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थी को धनराशि निर्गत करने की यह व्यवस्था बनायी गयी है कि रु. 50 हजार की धनराशि आवास स्वीकृति के उपरान्त लाभार्थी को उपलब्ध करायी जायेगी। द्वितीय किश्त की धनराशि 1.5 लाख की धनराशि छत डालने के पूर्व अवमुक्त की जायेगी तथा अवशेष रु. 50 हजार की धनराशि मकान पूर्ण होने पर तृतीय किश्त के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। प्रकरण में जनपद स्तर के अधिकारी एवं सूडा के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त यह तथ्य शासन के संज्ञान में आया कि पहली किश्त के रूप में उपलब्ध करायी गई धनराशि प्लिंथ निर्माण करने में लग जाती है। प्लिंथ से लेकर छत डालने के पूर्व काफी धनराशि की आवश्यकता होती है। धनाभाव के कारण लाभार्थी का आवास निर्माण रुक जाता है। परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाती है। अतएव दवितीय किश्त की धनराशि रु. 150,000/ छत डालने के पूर्व के स्थान पर लाभार्थी के आवास प्लिंथ निर्माण के बाद ही अवमुक्त करने पर विचार किया जाये।

3. उपरोक्त पहलुओं के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि द्वितीय किश्त की धनराशि रु. 150,000/ लाभार्थी को आवास प्लिंथ तक बनने के बाद अवमुक्त की जा सकती है। उक्त द्वितीय किश्त की धनराशि प्लिंथ तक निर्माण के पश्चात निर्मित क्षेत्र का फोटोग्राफ एवं जियो टैगिंग का कार्य पूर्ण होने पर ही अवमुक्त की जायेगी।

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही एवं अनुश्रवण सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

इसके पूर्व में निर्गत शासनादेश सं.- सं0-02/2018/1851(1)/69-1-2017-14(235)/2015 टी.सी. दिनांक-11 जनवरी, 2018 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाये।

भवदीय.

Manaj 14.9.18

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

7725/CS
14/09/18

Mohit/Babaji
Pl scan & keep it in Record

Pl circulate in all group
Imp

AD/FC/Prog. Officer
20/9/18

14/9/18

2089/AD/S
FC/ कार्यक्रम अधि०

कार्यक्रम अधि/श्री प्रवीण

FC
17/9/18

1047

संख्या— /2018/ ॥34(2)/69—1—2018 तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है:—

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जा, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0 प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
3. संयुक्त सचिव, (हाउसिंग फॉर ऑल) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0 प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0 प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0 प्र0 शासन।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0 प्र0 शासन।
8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, न्याय विभाग, उ0 प्र0 शासन।
9. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, राजस्व विभाग, उ0 प्र0 शासन।
10. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 शासन।
11. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0 प्र0 शासन।
12. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0 प्र0 शासन।
13. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0 प्र0 शासन।
14. निदेशक, (हाउसिंग फॉर ऑल निदेशालय) भारत सरकार, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली।
15. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।
16. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा, उ0 प्र0।
17. आवास आयुक्त, उ0 प्र0।
18. नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उ0 प्र0।
19. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0 प्र0।
20. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0 प्र0, लखनऊ।
21. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0 प्र0, लखनऊ।
22. निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस, जल निगम, लखनऊ।
23. निदेशक, आवास बन्धु, उ0 प्र0।
24. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0 प्र0।
25. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उ0 प्र0।

(आज्ञा से)

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।